

जैसा जवाब पेश करने को समय चलते है। अतः वास्ते जवाब पत्रावली दि० २५-६१५ को पेश हो।

जवाब पत्रावली

24-8-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलाधी/रेस्पोंडेंट/जर्जी/अपार्जी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। जैसा पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अदालत पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...26.1.2015 को पेश हो।

रीडर

26-8-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलाधी/रेस्पोंडेंट/जर्जी/अपार्जी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। जैसा पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अदालत पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...14.12.15 को पेश हो।

रीडर

14-12-15 वकील सायल उप० है। वकील जै० सा० व स्वयं जै० सा० उपस्थित नहीं है। अतः जै० सायलान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते कदम पत्रावली दि० 25-11-6 को पेश हो।

25-11-6 वकील सायल उप० है। कदम हेतु पत्रावली दि० 29-11-6 को पेश हो।

29-11-6 वकील सायल उप० है। कदम सुनी गई। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। सायल वादग्रस्त भूमि का खातेदार कार्तकार है। अतः सायल का प्र० पत्र स्वीकार किया जाकर जै० सायलान को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख० नं० 1237 रकबा 0.13 है० ग्राम ऐकसी के कदजे काशत व उपयोग उपयोग में किसी भी प्रकार की कच्चा उपबन्धन नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मन्वर से कम हो एवं वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला करतार  
गंगापर सिटी (स० ना०)

सा कलक्टर  
गंगापर सिटी (स० ना०)